न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 67/2019

भरतसिंह पुत्र गजेन्द्र जाति जाट निवासी वसेरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार सरकार भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन दिनांक 09.08.2019 व मुकदमा पटवारी हल्का सहना बनाम भरतसिंह मि0न0 16/19

उपस्थित :– 1. श्रीमती शशी बंसल, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 15.09.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश नायव तहसीलदार उच्चैन दिनांक 09.08.2019 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को ग्राम बसेरी की आराजी खसरा नम्बर 470 रकवा 1.04 वीघा में से 0.01 वीघा किस्म गैरमुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा खिलाफ कानून मौका एवं रिकार्ड के विपरीत है जो काविल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनने का पूर्ण अवसर नहीं दिया है और न ही अपीलान्ट के समक्ष पटवारी हल्का बयान ही लिये गये है जबकि बयान लिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय गौर नहीं फरमाया गया है कि विवादित रास्ता खसरा नम्बर 470 के सहारे अपीलान्ट का पुख्ता मकान पुराने समय से ही बना हुआ है जिसे तुडवाने की बदनियती कुछ असमाजिक व्यक्ति रखते है जिन्होने हल्का पटवारी पर नाजायज दबाब डालकर झूठी रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध करवाई है जबकि अपीलान्ट के द्वारा कोई कथित अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने पूर्व में दीवानी दावा न्यायालय सिविल जज रूपवास के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं जो आज भी विचाराधीन है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट करने से पूर्व न तो मौका देखा है और न ही पैमाईश की है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत नायव तहसीलार उच्चैन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2019 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.08.2019 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी संवत 2069–2072 एवं नक्शा ट्रेस में आराजी खसरा नम्बर 470 गैरमुमकिन रास्ता अंकित है। राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग–अलग है। प्रस्तुत अपील गैरमुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण के संबंधित है। अपीलान्ट ने अपनी अपील में राजकीय सडक/रास्ता होना अंकित किया है। खसरा परिवर्तन संवत 2076 में आराजी खसरा नम्बर 470 पर भरतसिंह पुत्र गजेन्द्र कौम जाट निवासी बसेरी का पुख्ता निर्माण अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली नायब तहसीलदार उच्चैन को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)